खाद्यान्नों में और कितनी-कितनी मात्रा में इस प्रकार के विषैले तत्व पाए गए हैं;

(ग) दुग्ध एवं अन्य खाद्यान्नों में इस प्रकार के हानिकारक विषैले तत्वों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक स्तर क्या है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानक की तुलना में कितना है;

(घ) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अलावा भारत में सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा कुछ निजी संस्थाओं/संस्थानों द्वारा भी ऐसे अध्ययन किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार रखती है; और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):** (क) और (ख) जी, हां,। अनुसंधान का मात्रात्मक विश्लेषण पूर्ण नहीं है।

(ग) कोडेक्स के अंतर्गत दर्शाए गए दूध तथा खाद्यान्नों में नाशक जीव मार अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इस प्रकार हैं:—

डी डी टी — दूध में 0.05 मि०ग्रा०
— अनाज/खाद्यान्नों में 0.1 मि०ग्रा/कि०ग्रा०

गामा एच — दूध में 0.01 मि०ग्रा०/कि० ग्रा०
— खाद्यान्नों/अनाजों में 0.5 मि०ग्रा०/कि०ग्रा०

(घ) जी, हां।

(ङ) यद्यपि इन अध्ययनों के परिणामों से विभिन्न उत्पादों में नाशक जीव मार अवशेषों की मौजूदगी का पता चलता है फिर भी अधिकांश नमूनों में अवशेष खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अनुरूप पाए गए थे।

(च) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत ऐसे वैषिक तत्वों की अधिकतम सहय सीमा निर्धारित की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं, ये खाद्य उत्पादों में ऐसे संदूषकों के बारे में सतर्क रहने एवं विश्लेषण हेतु अधिकतम संभावित संख्या में नमूने उठाने तथा उपभोगताओं को शुद्ध तथा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों की किस्मों सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है।

**Violation of Law in Illegal Transplantation of Human Organs**

2709. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI P. UPENDRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 670 given in the Rajya Sabha on 16th March, 1995 and State:

(a) whether the Central Law on Organ Transplantation is not affective in the states;

(b) what are main contents of the law; and

(c) what are the main clauses of the law being violated by persons involved in illegal transplantation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) The Transplantation of Human Organs Act, 1994, is presently applicable to the Stateof Goa, Himachal Pradesh and Maharashtra, and all the Union Territories. The other States Governments have been requested to adopt the above mentioned Act.

(b) This Act provides for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes, prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto.

(c) No such information is available with the Government.

**Treatment Abroad on Government Expenses**

2710. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of employees of the Central Government as well as of Public